



भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे भर्ती बोर्ड



सीईएन संख्या 08/2024

(लेवल-1 कैटेगरी के विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु)

सीबीटी (27-11-2025 से 10-02-2026 तक आयोजित) के प्रश्न, उत्तर और उत्तर कुंजी देखने एवं प्रश्नों/ विकल्पों/उत्तर कुंजियों पर यदि कोई आपत्ति हो, उसे दर्ज करने हेतु सूचना

सीईएन संख्या 08/2024 के अंतर्गत लेवल-1 कैटेगरी के विभिन्न पदों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) दिनांक 27-11-2025 से 10-02-2026 तक आयोजित की गयी थी। सीबीटी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को उनके प्रश्न, उत्तर और उत्तर कुंजी देखने के लिए, आरआरबी की वेबसाइटों पर एक लिंक उपलब्ध कराया गया है जो दिनांक 17.02.2026 को 17:00 बजे से दिनांक 23.02.2026 को 17:00 बजे तक सक्रिय रहेगा।

उपरोक्त विवरण देखने के बाद, प्रश्नों, विकल्पों और उत्तर कुंजियों के संबंध में आपत्तियां, यदि कोई हों, उम्मीदवार द्वारा उठाई जा सकती हैं, जिसके लिए समय सारिणी, शुल्क और प्रक्रिया नीचे दी गई है:

1. समय सारिणी:

क्रमांक	गतिविधि	तिथि और समय
1.	प्रश्न एवं उत्तर कुंजी देखना और प्रश्नों, विकल्पों और उत्तर कुंजियों के विरुद्ध आपत्तियां दर्ज और ऑनलाइन शुल्क भुगतान करना।	17.02.2026 को 17:00 बजे से
2.	प्रश्न एवं उत्तर कुंजी देखना और प्रश्नों, विकल्पों और उत्तर कुंजियों के विरुद्ध आपत्तियां दर्ज और ऑनलाइन शुल्क भुगतान विंडो बंद होना।	23.02.2026 को 17:00 बजे

2. आपत्तियां दर्ज करने हेतु शुल्क:

आपत्ति दर्ज करने के लिए निर्धारित शुल्क 50/-रुपये प्रति प्रश्न के साथ लागू बैंक सेवा शुल्क भी देय है। यदि उठाई गई आपत्ति सही पाई जाती है, तो ऐसी वैध आपत्तियों के खिलाफ भुगतान किया गया शुल्क लागू बैंक शुल्क की कटौती के बाद उम्मीदवार को वापस कर दिया जाएगा। यह रिफंड उसी खाते में किया जाएगा जिसमें से उम्मीदवार ने ऑनलाइन भुगतान किया है।

3. शुल्क भुगतान का तरीका:

- मेस्ट्रो, मास्टरकार्ड, वीजा, रुपये कार्ड - सभी प्रमुख बैंकों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड।
- यूपीआई/ यूपीआई क्यूआर कोड।
- नेट बैंकिंग/ मोबाइल बैंकिंग
- वॉलेट

4. आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया:

आवश्यक दिशा-निर्देशों के साथ विस्तृत प्रक्रिया आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक में उपलब्ध होगी।

5. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि और समय अर्थात 23.02.2026 को 17:00 बजे से पर्याप्त पहले आपत्ति (यदि कोई हो) दर्ज करें, जिसके बाद प्रश्नों, विकल्पों, कुंजियों आदि पर उम्मीदवारों के किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. दर्ज की गई आपत्तियों पर आरआरबी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और इस मामले में उम्मीदवारों से कोई और पत्राचार नहीं किया जाएगा।

दिनांक: 17.02.2026

अध्यक्ष
रेलवे भर्ती बोर्ड